उत्तर प्रेदश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या–2543/79–वि–1–07–1 (क) 53–2007

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 09 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 48 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है –

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन), 2007

(उत्तर प्रेदश अधिनियम संख्या 48 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम	1–	यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999 की धारा 4 का संशोधन	2–	उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम,1999 की धारा 4 में,– (क) उपधारा (1) के परन्तुक में शब्द ''बीस से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी'' के स्थान पर शब्द ''चालीस से अधिक नहीं होगी'' रख दिये जायेंगे ; (ख) उपधारा (4) में, खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा।

उद्देश्य और कारण

राज्य में जिला योजना समितियों को कार्यशील किये जाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रेदश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–32 सन् 1999) को संशोधित करके समितियों के गठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या के प्रतिबन्ध को हटाने और जिले के मुख्यालय पर स्थित समिति से नगर पालिका के नगर प्रमुख या अध्यक्ष की सदस्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की जाये।

तदनुसार उत्तर प्रेदश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै0 मजहर अब्बास आब्दी,

प्रमुख सचिव।